

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

सर्वश्री उत्तर प्रदेश ईट निर्माता समिति द्वारा समाधान योजना स्वीकार करने वाले ईट भट्टों के लिए आयात घोषणा पत्र (फार्म-31) जारी किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1(4)-प्रवर्तन जमानत (2004-2005)/ 647/ व्यापार कर दिनांक 22-6-2005 की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुये यह अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत ईटों की बिक्री पर व्यापार कर की दर 10 प्रतिशत के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत मूल्य सम्वर्धित कर अतिरिक्त कर सहित 5 प्रतिशत हो जाने के कारण उक्त परिपत्र दिनांक 22-6-2005 को संशोधित किया जाये ।

2- उक्त संदर्भ में समिति के पत्र पर सम्यक् रूप से विचार किया गया । मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1(4)-प्रवर्तन जमानत (2004-2005)/ 647/ व्यापार कर दिनांक 22-6-2005 के अनुसार ईटों पर देय व्यापार कर की दर 10 प्रतिशत होने के कारण फार्म-31 निर्गत करने हेतु की जाने वाली गणना के उद्देश्य से समाधान राशि का 10 गुना करते हुये विक्रय मूल्य का अनुमान करने का निर्देश था । वर्तमान में ईट पर मूल्य सम्वर्धित कर की दर 5 प्रतिशत है, ऐसी स्थिति में विक्रय मूल्य के अनुमान हेतु गणना के आधार में संशोधन किया जाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त उक्त परिपत्र में सहायता केन्द्रों पर की जाने वाली घोषणा एवं जमा जमानत के संदर्भ में भी निर्देश दिये गये थे, जबकि वर्तमान में सहायता केन्द्र अस्तित्व में नहीं है । अतः परिपत्र दिनांक 22-6-2005 में संशोधन अपरिहार्य है ।

3- अतः मुख्यालय के उक्त परिपत्र दिनांक 22-6-2005 को अतिक्रमित करते हुये ईट भट्टा समाधान योजना के अन्तर्गत समाधान योजना का विकल्प देने वाले ईट भट्टा व्यवसायियों को प्रान्त बाहर से कोयला के आयात हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर नियमावली, 2008 के अन्तर्गत प्राविधानित फार्म-38 (आयात घोषणा पत्र) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये जाने के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) कुल देय वार्षिक समाधान राशि के 20 गुना के बराबर कुल विक्रय धन का अनुमान करते हुये ईटों की औसत बिक्री दर से भाग देने पर जो संख्या आयेगी, वह ईटों की उत्पादित संख्या होगी और प्रति एक लाख ईट के उत्पादन में प्रयुक्त लगभग 18 टन कोयला की खपत मानते हुये कोयला की वार्षिक खपत का वजन ज्ञात किया जा सकता है जिसमें प्रति ट्रक अनुमानित वजन से भाग देने पर पूर्णांक में निर्गत किये जाने वाले फार्म-38 की संख्या होगी ।
- (2) जिन भट्टों में कोयला के अलावा लकड़ी अथवा अन्य ईंधन प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता हो, ऐसे भट्टों में युक्तियुक्त तथ्यों के आधार पर उपर्युक्त उप-प्रस्तर (1) के अनुसार की गयी गणना से कम मात्रा में फार्म-38 जारी किये जाने के आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित करते हुये तदनुसार फार्म-38 निर्गत किये जायेंगे ।

(3) फार्म-38 में घोषित से अधिक मात्रा का कोयला किसी प्रकार से आयात करते हुये पाये जाने पर यदि जमानत जमा करायी गयी हो, तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा और यदि अर्थदण्ड आरोपणीय न हो, तो तदनुसार जमानत के रूप में जमा धनराशि अन्य बकायों अथवा देय समाधान राशि की किश्तों में नियमानुसार समायोजित की जायेगी। यदि किसी कारण से किसी भट्टा समाधान सीजन वर्ष के लिए मूल्य सम्वर्धित कर का बकाया किसी प्रकार सृजित होता है तो केवल इसी कारण से समाधान योजना के लाभ से व्यापारी को वंचित नहीं किया जायेगा यदि समाधान योजना के लिए नियत समयावधि के अन्तर्गत देय ब्याज सहित सम्पूर्ण बकाया कर भट्टा व्यवसायी द्वारा जमा कर दिया जाता है।

4- समाधान योजना से बाहर रहने वाले ईट भट्टा व्यवसायियों के द्वारा कर-अवधि के लिए दाखिल रिटर्न में घोषित विक्रय धन के आधार पर उप प्रस्तर (1) में उल्लिखित रीति से निर्गत किये जाने वाले फार्म-38 की संख्या ज्ञात हो जायेगी।

5- वर्ष के अन्त में करनिर्धारण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुमन्य वजन का ही कोयला व्यापारी द्वारा आयात किया गया है और ऐसे आयातित कोयला का उपयोग केवल ईट के निर्माण में ही किया गया है। प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड/करारोपण की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये इसकी पर्याप्त प्रतियां कराकर व्यापारिक / अधिवक्ता संघों को उपलब्ध कराये तथा इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एच0एन0 राव)

एडीशनल कमिशनर(विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

प्र0प्र0सं0एवं दिनोंक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0प्र0
- (5) समस्त जौनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ0प्र0।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (7) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त डिप्टी कमिशनर / अस्सिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0 / स0द0) वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश।
- (10) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक, इसेंटिव,, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (17) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य0 गाजियाबाद।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0) लखनऊ/ इलाहाबाद।
- (19) मैअनुल अनुभाग/ सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (23) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (24) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (25) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (26) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (27) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (28) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (29) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (30) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (31) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- (32) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
- (33) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से।
- (34) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (35) शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0 कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (36) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहना रोड कानपुर।
- (37) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (38) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (39) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (40) श्री बी0एन0 राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (41) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1 कुँजगली, चौक, वाराणसी।
- (42) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
- (43) श्री पी0एस0 जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (44) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (45) आर0डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (46) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद।
- (47) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
- (48) इन्डियन इण्ड0 एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
- (49) संयोजक, टैक्सेशियों एक्जैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (50) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- (51) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0पा0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (52) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
- (53) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (54) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
- (55) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ।
- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पँजी0-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ।
- (57) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र माल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी0एन0 रोड, अमीनाबाद लखनऊ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ।

- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन्, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन,103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0)

(बी0एन0 द्विवेदी)

ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, मु0 ।